Regarding enhancing SDRF support land eligibility to 5 hectares to get relief for disaster affected farmers in Rajasthan-Laid

श्री हनुमान बेनीवाल **(नागौर) :** मैं सरकार का ध्यान उद्यानिकी व नकदी फसल के लिए कृषि आदान अनुदान ने वृद्धि करने तथा कृषि आदान अनुदान की अधिकतम सीमा 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर करने की मांग से अवगत करवाते हुए बताना चाहता हूं कि उद्यानिकी फसल जैसे संतरा, किन्नू व नगदी फसल जैसे जीरा,ईसबगोल आदि में प्रारम्भिक लागत बहुत ज्यादा है परन्तु एसडीआरएफ नॉर्म्स के अंतर्गत इन श्रेणी की फसलों में खराबी होने की स्थिति में कृषि आदान अनुदान मात्र 22,500 रुपए प्रति हैक्टेयर ही देय है जिसे बढ़ाकर न्यूनतम एक लाख रुपए रूपये प्रति हैक्टेयर किए जाए साथ ही राजस्थान की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए कृषि आदान अनुदान की सीमा 2 हैक्टेयर से बढ़ाकर 5 हैक्टेयर तक किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि भूमि की कम उत्पादकता व बड़े भू भाग में रेगिस्तान है साथ ही छोटे व सीमांत किसान की पात्रता मानदंड 2 हैक्टेयर तक भूमि की सीमा उपयुक्त नहीं है इसलिए नागौर, डीडवाना - कुचामन, अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चुरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, जोधपुर, नागौर, पाली, बाड़मेर, उदयपुर, सीकर, राजसमंद व सिरोही जिले में यह सीमा 5 हैक्टेयर तक बढ़ाना आवश्यक है ताकि आपदा में प्रभावित किसानों को इनपुट सब्सिडी मिल सके और किसान को राहत मिल सके ।

12.15 hrs